

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग 2-

संख्या-1249/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0-267-उ0प्र0अधि0-1-  
2017-आदेश(330)-2024

लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-753/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2017 दिनांक-21-06-2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:-

पूर्वोक्त संशोधन अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैरा के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि इस अधिसूचना में अन्तर्विषट कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अधीन आने वाले धातु स्ट्रैप की पूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।”।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devraj (देवराज)

प्रमुख सचिव

Date: 29-10-2024 18:23:52